2006:CGHC:823

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के समक्ष

रिट याचिका सं. 2114/2006

याचिकाकर्तागण : 1. गोकुल राम, पिता श्री मोत्रु राम, आयु लगभग 36 वर्ष

2 . हृदय राम, पिता श्री झिटकू राम, आयु लगभग 49 वर्ष

3 . राजकुमार यादव, पिता श्री गोरेलाल राजपूत, आयु लगभग 41 वर्ष

4. विदेशी राम, आयु लगभग 52 वर्ष, पिता श्री हीराराम

5 . महेश कुमार, पिता श्री आशाराम, आयु लगभग 43 वर्ष

सभी याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य महासंघ मर्यादित, रायपुर (छग) में कार्यरत हैं।

सभी गांव और पोस्ट सालुए, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) के निवासी हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>विरुद्ध</u>

उत्तरवादीगण : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा : सचिव, सचिव, मत्स्य मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छग)

2 . छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य महासंघ मर्यादित, रायपुर (छग), द्वारा प्रबंध निदेशक

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत प्रस्तुत याचिका।

2006:CGHC:823

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या 2114/2006

याचिकाकर्तागण : गोकुल राम और अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

दिनांक 22 मई, 2006 को आदेश हेतु सूचीबद्ध करें।

सही/-
(सतीश के**.** अग्निहोत्री**)**
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2006:CGHC:823

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ :माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

रिट याचिका सं. 2114/2006

याचिकाकर्तागण	:	गोकुल राम और अन्य
		विरुद्ध
उत्तरवादीगण	:	छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

याचिकाकर्ताओं के लिए पी. एस. कोशी, अधिवक्ता ।

राज्य के लिए श्री सुशील दुबे, शासकीय अधिवक्ता।

कैविटर के लिए श्री राजीव श्रीवास्तव, अधिवक्ता ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(2 मई, 2006)

1. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, याचिकाकर्ताओं को मध्य प्रदेश मत्स्य निगम द्वारा दैनिक मजदूरी के आधार पर नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ताओं को वर्ष 1987 से 1989 की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में मत्स्य विकास निगम द्वारा दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के रूप में नियुक्त किया गया था। स्वीकृत रूप से, याचिकाकर्ताओं को किसी भी विज्ञापन के अनुसरण अर्ह व्यक्तियों के मध्य उचित प्रतिस्पर्धा के बाद नियुक्त नहीं किया गया था। याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति दैनिक वेतन के आधार पर हुई थी, तथापि, याचिकाकर्ता आदेश दिनांक 31.3.2000 के पारित होने तक सेवा में बने रहे।

2. याचिकाकर्ताओं की सेवाएं इस आधार पर समाप्त हो गईं कि उनकी सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं थी। याचिकाकर्ताओं को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (इसके बाद "आई.डी.एक्ट" के रूप में संदर्भित) की धारा 25–च के अंतर्गत छंटनी प्रतिकर का संदाय किया गया था।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि चूंकि याचिकाकर्ताओं को सेवा से हटाने के समय छंटनी प्रतिकर का भुगतान किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता आई. डी. अधिनियम के उपबंधों द्वारा शासित होते हैं।

4. यह पूछे जाने पर कि क्या उत्तरवादी निगम एक उद्योग है, याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उत्तरवादी संख्या 2–नियोक्ता एक उद्योग नहीं है। चूंकि उत्तरवादी संख्या 2 ने स्वयं छंटनी प्रतिकर प्रदान किये जाने के लिए आई. डी. अधिनियम की धारा 25–च के उपबंधों का सहारा लिया है, इसलिए याचिकाकर्ता आई. डी. अधिनियम के उपबंधों द्वारा शासित होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5 . याचिकाकर्ताओं ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं के हटाने के आदेश को इस आधार पर अविधिमान्य घोषित किया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ताओं ने दैनिक वेतन के आधार पर 25 साल से अधिक समय तक कार्य किया है। याचिकाकर्ताओं का यह निवेदन कि उत्तरवादी संख्या 2 को उद्योग माना जाए, इस आधार पर कि उत्तरवादी संख्या 2 ने याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को हटाने से पहले छंटनी प्रतिकर का संदाय किया था, इस साधारण आधार पर अस्वीकार किये जाने योग्य है कि प्रतिकर के अनुदान के लिए कुछ उपबंधों का उल्लेख करके, उत्तरवादी संख्या 2 एक उद्योग नहीं बन जाता है। उत्तरवादी संख्या 2 एक समिति है और इसे एक उद्योग के रूप में घोषित नहीं किया गया है ताकि औद्योगिक कानूनों के उपबंधों को इस पर लागू किया जा सके।

2006:CGHC:823

6. **सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमादेवी और अन्य** (2006 (4) SCALE) 197 के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया था :

> "इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि लोक नियोजन में समता के नियम का पालन करना हमारे संविधान की एक बुनियादी विशेषता है और चूंकि विधि का शासन हमारे संविधान का मूल है, इसलिए न्यायालय निश्चित रूप से अनुच्छेद 14 के उल्लंघन को मान्य रखने या संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ अनुच्छेद 14 की आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता की उपेक्षा करने का आदेश देने से अक्षम होगा। इसलिए, लोक नियोजन की योजना के अनुरूप, इस न्यायालय को विधि अधिकथित करते समय अनिवार्य रूप से यह अभिनिर्धारित करना होगा कि जब तक नियुक्ति प्रासंगिक नियमों के संदर्भ में और अर्ह व्यक्तियों के मध्य उचित प्रतिस्पर्धा के बाद नहीं होती है, तब तक यह नियुक्त व्यक्ति को कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा। यदि यह एक संविदात्मक नियुक्ति है, तो नियुक्ति संविदा की समाप्ति में समाप्त हो जाती है, यदि यह दैनिक वेतन या आकस्मिक आधार पर एक नियुक्ति थी, तो यह नियुक्ति समाप्त होने पर समाप्त हो जाएगी। इसी तरह, एक अस्थायी कर्मचारी अपनी नियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर स्थायी होने का दावा नहीं कर सकता। यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि केवल इसलिए कि कोई अस्थायी कर्मचारी या आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारी अपनी नियुक्ति की अवधि से आगे भी कुछ समय तक बना रहता है, वह केवल ऐसे बने रहने के आधार पर नियमित सेवा में आमेलित होने या स्थायी किए जाने का हकदार नहीं होगा, यदि मूल नियुक्ति प्रासंगिक नियमों द्वारा परिकल्पित चयन की समुचित प्रक्रिया का पालन करके नहीं की गई थी। न्यायालय को यह अधिकार नहीं है कि वह अस्थायी कर्मचारियों, जिनकी नियुक्ति की अवधि समाप्त हो चुकी है, या तदर्थ कर्मचारियों, जिन्हें उनकी नियुक्ति की प्रकृति के कारण कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं, के कहने पर नियमित भर्ती को रोके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कार्य करने वाले उच्च न्यायालयों को सामान्यतः आमेलन , नियमितीकरण या स्थायी नियुक्ति के लिए निर्देश जारी नहीं करने चाहिए जब तक कि भर्ती स्वयं नियमित रूप से और संवैधानिक योजना के अनुसार न की गई हो । केवल इसलिए कि एक कर्मचारी ने न्यायालय के एक आदेश की आड़ में काम करना जारी रखा था, जिसे हमने निर्णय के पहले भाग में 'मुकदमेबाजी वाली नौकरी' के रूप में वर्णित किया है, वह सेवा में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आमेलित होने या स्थायी किये जाने के किसी भी अधिकार का हकदार नहीं होगा। वास्तव में, ऐसे प्रकरणों में, उच्च न्यायालय अंतरिम निर्देश जारी करने में न्यायानुमत नहीं हो सकता है, क्योंकि आखिरकार, यदि उससे संपर्क करने वाला कर्मचारी अनुतोष का हकदार पाया जाता है, तो उसके लिए अनुतोष को इस रीती से ढालना संभव हो सकता है कि अंततः उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न हो, जबकि उसके नियोजन को जारी रखने के लिए एक अंतरिम निर्देश चयन के लिए नियमित प्रक्रिया को रोक देगा या राज्य पर एक कर्मचारी को भुगतान करने का भार अधिरोपित कर देगा जिसकी वास्तव में आवश्यकता नहीं है। न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने में सावधानी बरतनी चाहिए कि वे राज्य या उसके अभिकरणों द्वारा उसके मामलों की आर्थिक व्यवस्था में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप न करें या संवैधानिक और वैधानिक अधिदेशों की उपेक्षा करने की सुविधा के लिए स्वयं को साधन न दें।

7 . प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में, जहां याचिकाकर्ताओं के प्रकरण में यह स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति दैनिक वेतन के आधार पर की गई थी, न कि विज्ञापन या खुली प्रतिस्पर्धा के आधार पर, याचिकाकर्ताओं को नियोजन में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और पद से हटाने के आक्षेपित आदेश दिनांक 31.3.2006 को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। उपर्युक्त कथित कारणों से, इस याचिका को ग्राह्यता के स्तर पर संक्षेप में निरस्त किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
(सतीश के**.** अग्निहोत्री**)**
न्यायाधीश

गौरी

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**